



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर

E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrh@yahooin Tel. No. 0141-5110731

एफ29()एनएचएम/एमएमजेआरके/बीपीएल काउंटर स्टाफ/समायोजन/18/682 दिनांक : 23/03/18


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सवाई माधोपुर

विषय – फार्मासिस्ट के पदस्थापन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2018 के पश्चात् मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को बंद किये जाने के फलस्वरूप योजना से सेवामुक्त किये गये फार्मासिस्टों को एनएचएम तथा एएनएचएम के तहत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) में लगाये जाने के संबंध में उनकी स्क्रीनिंग, काउंसलिंग एवं साक्षात्कार आयोजित किये गये। जिसमें आपके जिले के निम्नांकित फार्मासिस्टों को उत्तीर्ण पाया गया –


S. no.	Name	Father Name	Address	Date of Birth	Last working institute
1	SAYYED MAHIR ALI	SHAREEF ALI	BEHIND SAHU NAGAR SCHOOL, BAJRIYA, SAWAI MADHOPUR	25.08.1987	District Hospital, Sawai Madhopur

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त फार्मासिस्ट को प्राथमिकता के आधार पर उसके अन्तिम पदस्थापन स्थान (एमएमजेआरके से सेवामुक्त किये जाने के समय), संबंधित ब्लॉक, नजदीकी ब्लॉक अथवा संबंधित जिले में एनएचएम तथा आरबीएसके में रिक्त फार्मासिस्ट के पद पर लगाने हेतु एनएचएम के तहत निर्धारित अनुबंध पत्र पर अनुबंध करवाते हुये कार्यग्रहण करवाकर **तीन दिवस** में सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।


शासन सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य, प0क0 एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय जयपुर।
5. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सवाई माधोपुर।
7. जिला लेखा प्रबंधक, सवाई माधोपुर।
8. इन्चार्ज सर्वर रूम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने की कार्यवाही की जावे।
9. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम